

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 183/2022 GCMS 2022/368

वादीगण :-

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चावण्डिया जरिये खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी धमेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरदेवसिंह उम्र 37 साल निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रतिवादी गण :-

1. कानाराम पुत्र श्री मूलाराम जाति मेघवाल
2. तीजुदेवी पुत्री श्री मूलाराम जाति मेघवाल
3. बिमलादेवी पुत्री श्री मूलाराम जाति मेघवाल
4. बजरंगलाल पुत्र श्री मूलाराम जाति मेघवाल
5. भंवरलाल पुत्र श्री मूलाराम जाति मेघवाल
6. भागीरथराम पुत्र श्री मूलाराम जाति मेघवाल
7. रामअवतार पुत्र श्री मूलाराम जाति मेघवाल
8. गणेश पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
9. पुष्पा पुत्री श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
10. मुकेश पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
11. रामकुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
12. शारदा पुत्री श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
13. सन्तोष पुत्री श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
14. सोहनीदेवी पत्नी श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
15. देवीलाल पुत्र श्री मालाराम जाति मेघवाल
16. सुखाराम पुत्र श्री मालाराम जाति मेघवाल
17. पतासीदेवी पत्नी श्री लच्छाराम जाति मेघवाल
18. भंवरलाल पुत्र श्री लच्छाराम जाति मेघवाल
19. गोमसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत
20. तख्तसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत
21. बघेसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत
22. गीता कंवर पत्नी श्री जगदीशसिंह जाति राजपूत
23. जयसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह जाति राजपूत
24. सोनू कंवर पुत्री श्री जगदीशसिंह जाति राजपूत
25. मगसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति राजपूत
26. मूलसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति राजपूत
27. विजयसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये सरक्षक माता गीता कंवर
28. पशुपालन विभाग जरिये उप-निदेशक पशुपालन विभाग चावण्डिया
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज. (लैण्ड होल्डर)

दावा बाबत बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
उपस्थित :- श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी 19, 20, 21 की ओर से।  
श्री भीकमचन्द अधिवक्ता प्रतिवादी 22, 23, 24, 27 की ओर से।



  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

निर्णय

दिनांक 1/2/2023

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है, माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 12.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2023/255 दिनांक 01.02.2023 के द्वारा भिजवाई गई, दिनांक 19.01.2023 को तैयार मौका विभाजन फर्द शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम चावण्डिया के खसरा नम्बर 309 रकबा 0.67 हैक्टर किस्म बारानी 3 में से 0.48 हैक्टर चिकित्सा अधिकारी हिस्सा 24/179 खातेदार राजस्थान सरकार जरिये खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला नागौर नक्शे में लाल स्याही से दर्शित जगह काबिज है। खसरा नम्बर 309 रकबा 0.67 हैक्टर में से शेष भूमि रकबा 0.19 हैक्टर में बिन्दू संख्या A 0.0219 हैक्टर बिन्दू संख्या B 0.1681 हैक्टर तथा शेष खसरा नम्बर 305, 306, 307, 308, 310, 515/413 रकबा 2.91 हैक्टर अर्थात् कुल रकबा 3.10 हैक्टर में शेष खातेदार जमाबंदी अनुसार यथावत रहेंगे, प्रतिवादी 19, 20, 21 गोमसिंह हिस्सा 21/2864 तख्तसिंह हिस्सा 21/2864 बघेसिंह हिस्सा 21/2864 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जिसके अनुसार इनका कुल रकबा 0.07875 हैक्टर है (प्रतिवादी सं. 19, 20, 21) है जबकि मौके पर शेष खातेदार खाते में और होने से सभी का अलग अलग हिस्सा मौके पर कब्जा नहीं होने से दर्शित किया जाना सम्भव नहीं है। रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी अनुसार प्रतिवादी सं. 19, 20, 21 को अनुतोष नहीं दिया जा सकता। उपस्थित पक्षकारों ने उपरोक्त नजरी नक्शानुसार काबिज होना बताया तथा उपरोक्त अनुसार जोत विभाजन करवाना चाहते हैं। मौके पर उपस्थित वादीगण एवं अन्य मौजिज व्यक्तियों, के कब्जे की भूमि के संबंध में जानकारी ली गई तो उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि नजरी नक्शे में दर्शाये गये बिन्दू नजरी नक्शे में दर्शाये मार्क अनुसार खातेदारान काबिज है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद आंशिक रूप से काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद आंशिक रूप से अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम चावण्डिया पटवार मण्डल चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 309 रकबा 0.67 हैक्टर में से 0.48 हैक्टर नजरी नक्शा में



  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( नागौर )

अंकित लाल स्याही से दर्शित जगह वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका विभाजन रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ०१/५/२०२३ को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (जागर)



**डिक्री मुकदमा इब्तोदाई**

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-नागौर (राज.)**

बइजलास : बाबुलाल जाट ( R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :- 183/2022 GCMS 2022/368

**वादीगण :-**

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चावण्डिया जरिये खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी धमेन्द्र कुमार  
पुत्र श्री हरदेवसिंह उम्र 37 साल निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर

**प्रतिवादी गण :-**

1. कानाराम पुत्र श्री मूलाराम जाति मेघवाल
2. तीजुदेवी पुत्री श्री मूलाराम जाति मेघवाल
3. बिमलादेवी पुत्री श्री मूलाराम जाति मेघवाल
4. बजरंगलाल पुत्र श्री मूलाराम जाति मेघवाल
5. भंवरलाल पुत्र श्री मूलाराम जाति मेघवाल
6. भागीरथराम पुत्र श्री मूलाराम जाति मेघवाल
7. रामअवतार पुत्र श्री मूलाराम जाति मेघवाल
8. गणेश पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
9. पुष्पा पुत्री श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
10. मुकेश पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
11. रामकुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
12. शारदा पुत्री श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
13. सन्तोष पुत्री श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
14. सोहनीदेवी पत्नी श्री सुरजाराम जाति मेघवाल
15. देवीलाल पुत्र श्री मालाराम जाति मेघवाल
16. सुखाराम पुत्र श्री मालाराम जाति मेघवाल
17. पतासीदेवी पत्नी श्री लच्छाराम जाति मेघवाल
18. भंवरलाल पुत्र श्री लच्छाराम जाति मेघवाल
19. गोमसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत
20. तख्तसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत
21. बघेसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत
22. गीता कंवर पत्नी श्री जगदीशसिंह जाति राजपूत
23. जयसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह जाति राजपूत
24. सोनू कंवर पुत्री जगदीशसिंह जाति राजपूत
25. मगसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति राजपूत
26. मूलसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति राजपूत
27. विजयसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये सरक्षक माता गीता कंवर
28. पशुपालन विभाग जरिये उप-निदेशक पशुपालन विभाग चावण्डिया
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज. (लैण्ड होल्डर)  
दावा बाबत् बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .....  
मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री बोदूराम एवं श्री भीकमचन्द अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर  
हुक्म दिया जाता है कि वाद आंशिक रूप से अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम चावण्डिया पटवार मण्डल  
चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 309 रकबा 0.67 हैक्टर में से 0.48 हैक्टर नजरी  
नक्शा में अंकित लाल स्याही से दर्शित जगह वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष



**उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( नागौर )**

खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका विभाजन रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।  
बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 01 माह 02 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)



दस्तावेज  
अधिकारी  
कुचामन सिटी ( नागौर )

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका विभाजन रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज ..... मुबलिंग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।  
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ..01..माह ..02..... सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)



दस्तखत  
अपरिवर्ण अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

राज/प्र  
11/2/23

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी जिला-जागर (राज.)

क्रमांक/श.अ./2023/255

दिनांक. 01-02-2023.

प्रति:-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महीदपुर.

कुचामन सिटी

विषय:- राजस्व प्रकरण बाद से. 183/2022 प्राथमिक स्वा. केन्द्र-चावाडिया  
जारी के खण्ड मुख्य चिड़िया आधीकारी बनाम कानाराम काँ. में जारी  
प्राथमिक डिडी की पालना वसत।

संदर्भ:- श्रीमान के पत्रांक कोर्ट/2023/5 दिनांक 12.01.2023.

महीदपुर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राथमिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि  
राजस्व प्रकरण बाद से. 183/2022 प्राथमिक स्वा. केन्द्र-चावाडिया जारी खण्ड  
मुख्य चिड़िया आधीकारी बनाम कानाराम काँ. में जारी प्राथमिक डिडी  
की पालना में बंधन प्रस्ताव. भू.अ.नि. चिड़िया व पहा-चावाडिया,  
पहा डीआर वहा तैयार करवाया गया है।


अतः गूल ही बंधन स्वीकृति श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

FR  
24/1/23

मौका विभाजन फर्द

आज दिनांक 19.01.2023 को न्यायालय उपखण्ड मधुमिणी कुवापनाधि के अपेश इमांक कोटी 2023/5 दिनांक 12.01.2023 एवं कार्यलय तहसील का (अ.अ) कुवापनाधि के अपेश इमांक अ.अ. 20/02 दिनांक 13.01.2023 की पालना में राजस्व प्रकार का संख्या 183/2022 G.L.M.S 2022/368 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न्यायाधिया की बंटाए स्कीम तैयार करने हेतु मौके पर पहुंचे। ग्राम न्यायाधिया के खसरा नं. 305, 306, 307, 308, 309, 310, 515/413 कुल रकबा 3.58 हेक्टर में कादी चिडिला आधिगारी मय गोमहिं कुल रकमहिं, तहसील कुल रकमहिं बघेहिं कुल रकमहिं जात्रि राजपूत स्वयं व इनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में उक्त बंटाए स्कीम निम्न प्रकार तैयार की गई—




1. खसरा नं. 309 रकबा 0.67 है जिसका बापनी 3 में से 0.48 है चिडिला आधिगारी हिस्सा  $\frac{24}{179}$  खातेदार राजस्थान सरकार जरिये खसत मुख्य चिडिला आधिगारी किला नजारे नकशे में लाल रखाई से दर्शीर जगह काबिज है।
2. खसरा नं. 309 रकबा 0.67 है में से शेष भाग 0.19 है में बिन्दु संख्या 0.0219 है बिन्दु संख्या 12 0.1681 है तथा शेष खसरा नं. 305, 306, 307, 308, 310,  $\frac{515}{413}$  रकबा 2.91 है अर्थात् कुल रकबा 3.10 है में शेष खातेदार जमावणी क्षुत्सा यथावत् रहेंगे।


P.T.O.


3. श्रीमान्त्री के द्वारा प्राथमिक शिक्षा बोर्ड में वादी शिक्षिका अग्रिम हिस्सा  $\frac{21}{179}$  परिवार सं. 19, 20, 21 द्वारा: गोमति हिं पुत्र रामकि हिं हिस्सा  $\frac{21}{2864}$  तज्जति हिं अरामकि हिं हिस्सा  $\frac{21}{2864}$  बधे हिं पुत्र रामकि हिं हिस्सा  $\frac{21}{2864}$  जगि राजप्रत को खातेदार कप्रतगत घोषित किया गया है। जिसके अनुसार इनका कुल रकम 0.07875 है (परिवार सं. 19, 20, 21) है। जबकि मौके पर शेष खातेदार खाते में अंत होने से सभी का अलग-अलग हिस्सा मौके पर कब्जा नही होने से वरीर किया जाना सम्भव नही है।


अतः मौके के अनुसार बंधार स्कीम तैयार कर उपाधिर के हस्ताक्षर करवाये जाये।

  
Bemo Keity

19.01.2023

  
19/01/2023  
पूजा

  
श. अ. चितम्बर

  
19/01/2023  
प. सावडेगा

1. जगमल हिं पुत्र तज्जति हिं राजप्रत
2. दातार हिं अ म्मा हिं राजप्रत

जगमल सिंह  
दातार सिंह